संख्या-32/2018/1616 ई-2/तेरह-2018-01/2016

प्रेषक

वेद प्रकाश राय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
आगरा।

आबकारी अनुभाग.2 लखनऊ::दिनांक 07 मई,2018

विषय:-होटल सेविन हिल्स टावर (यूनिट ऑफ श्रीकृष्णा चेतन्या महाप्रभू एसोसियेट) जसौरिया एन्क्लेव फतेहाबाद रोड, आगरा को एफ0एल0-6(समिश्र) बार अनुज्ञापन स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदयए

उपर्युक्त विषयक शासन को सम्बोधित एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को पृष्ठांकित अपने पत्र संख्या-372/आबकारी सहा0/2015-16, दिनांक 21 दिसम्बर,2015 तथा पत्र संख्या-492/आब0सहा0/2015-16, दिनांक 19 अप्रैल,2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संदर्भगत प्रकरण में जिला बार समिति की बैठक दि0 17-12-2015 में की गई संस्तुति एवं इसी संदर्भ में आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पत्र संख्या-जी-172/दस-लाइसेंस-12/खण्ड-08/एफ0एल0-6,7/बार अनु0/आगरा, दिनांक 05 जून,2017 में की गई संस्तुति व अन्य सुसंगत अभिलेखों पर सम्यक् विचारोपरान्त होटल सेविन हिल्स टावर (यूनिट ऑफ श्रीकृष्णा चेतन्या महाप्रभू एसोसियेट) जसौरिया एन्क्लेव फतेहाबाद रोड, आगरा को एफ0एल0-6(समिश्र) बार अनुज्ञापन एतद्द्वारा इस शर्त के साथ प्रदान किया जा सकता है कि उक्त दोनों होटल/रेस्टोरेन्ट्स में सी0सी0टी0वी0 कैमरे की व्यवस्था होने, शान्ति व्यवस्था के दृष्टि से पर्याप्त सुरक्षाकर्मी होने तथा अग्निशमन विभाग की अनापत्ति में दी गई शर्तों को पूर्ण होने के पश्चात् ही लाइसेंस निर्गत किये जाएं।

तद्नुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(वेद प्रकाश राय)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-32/2018/1616(1) ई-2/तेरह-2018 तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रति आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पत्र संख्या-जी-172/ दस-लाइसेंस-12/खण्ड-08/एफ0एल0-6,7/बार अनु0/आगरा, दिनांक 05 जून,2017 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
(वेद प्रकाश राय)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।